76

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)
छिहत्तरवाँ प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध
(स्वीकार किये गये)

22/12/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, **2022** / अग्रहायण, **1944** (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
	प्रतिवेदन	1-3
	परिशिष्ट-एक आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर समिति द्वारा 23 अगस्त, 2022 की बैठक में विचार किया गया।	4-6
	परिशिष्ट- दो से पंद्रह	
	आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)	
II.	(एक) 'जूट बोरों की आपूर्ति' विषय के संबंध में दिनांक 03.12.2015 का अता.प्र.सं.727 (दो) 'जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला' विषय के संबंध में दिनांक 17.12.2015 का अता.प्र.सं.3028	7-11
III.	'रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं' विषय के संबंध में दिनांक 04.08.2021 का ता.प्र.सं.221 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	12-23
IV.	'द्रुत गामी रेललाइन' विषय के संबंध में दिनांक 03.02.2021 का अता.प्र.सं. 439	24-26
V.	'खेल अवसंरचना' विषय के संबंध में दिनांक 04.02.2021 का ता.प्र.सं. 58	27-31
VI.	(एक) 'रेलवे सुरक्षा बल' विषय के संबंध में दिनांक 14.03.2013 का अता.प्र.सं.2987 (दो) 'बहु सुरक्षा एजेंसी' विषय के संबंध में दिनांक 16.03.2016 का अता.प्र.सं.3025	32-35
VII.	(एक) 'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा' विषय के संबंध में दिनांक 29.11.2021 का अता.प्र.सं.106 (दो) 'डिजिटल मुद्रा' विषय के संबंध में दिनांक 06.12.2021 का अता.प्र.सं.1341	36-38

VIII.	'द्रुत गति रेल गलियारा' विषय के संबंध में दिनांक 10.03.2021 का अता.प्र.सं.2549	39-42
IX.	'वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट' विषय के संबंध में दिनांक 29.07.2009 का अता.प्र.सं.3593	43-44
X.	बजट पर सामान्य चर्चा दिनांक 13.02.2021	45-67
XI.	'पंजाब को लंबित निधि जारी करना' विषय के संबंध में दिनांक 22.03.2021 का अता.प्र.सं.4319	68-70
XII.	'आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ' विषय के संबंध में दिनांक 04.04.2022 का ता.प्र.सं.449 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	71-80
XIII.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 23 अगस्त, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	81-84
XIV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 20 दिसम्बर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	85-86
XV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना	87

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम.बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम.सी.गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिये दिनांक 09 नवंबर 2022 के लोक सभा समाचार भाग- दो का पैरा सं.5363

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 76वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 23 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में *अन्य बातों के साथ-साथ* ज्ञापन संख्या 127 से 146 पर विचार किया जिनमें 24 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध शामिल हैं, और 14 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया।

3. समिति (2022-2023) ने 20 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

नई दिल्ली;
29 दिसम्बर, 2022
29 अग्रहायण, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(iv)

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है । यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण- अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 23 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में 24 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी 20 ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया।

3. मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए कारणों पर समिति विचार करने के बाद संतुष्ट हुई और उन्होंने निम्नलिखित 14 आश्वासनों को छोड़ेने का निर्णय लिया:

क्र. सं	ता.प्र./अ.ता.प्र. सं. व दिनांक	मंत्रालय	संक्षिप्त विषय
1	(i) अ.ता.प्र. सं. 727 दिनांक 03.12.2015 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3028 दिनांक 17.12.2015	वस्त्र	(i) जूट बोरों की आपूर्ति (ii) जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला (परिशिष्ट – दो)
2	ता.प्र. सं. 221 दिनांक 04.08.2021 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	रेल	रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं (परिशिष्ट – तीन)
3	अ.ता.प्र. सं. 439 दिनांक 03.02.2021	रेल	द्रुत गामी रेललाइन (परिशिष्ट – चार)
4	ता.प्र. सं. 58 दिनांक 04.02.2021	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल अवसंरचना (परिशिष्ट – पाँच)

क्र. सं	ता.प्र./अ.ता.प्र. सं. व दिनांक	मंत्रालय	संक्षिप्त विषय
5	(i) अ.ता.प्र. सं. 2987 दिनांक 14.03.2013 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3025 दिनांक 16.03.2016	रेल	(i) रेलवे सुरक्षा बल (ii) बहु सुरक्षा एजेंसी (परिशिष्ट – छह)
6	(i) अ.ता.प्र. सं. 106 दिनांक 29.11.2021 (ii) अ.ता.प्र. सं. 1341 दिनांक 06.12.2021	वित्त	(i) सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (ii) डिजिटल मुद्रा (परिशिष्ट – सात)
7	अ.ता.प्र. सं. 2549 दिनांक 10.03.2021	रेल	द्रुत गति रेल गलियारा (परिशिष्ट – आठ)
8	अ.ता.प्र. सं. 3593 दिनांक 29.07.2009	वित्त	वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट (परिशिष्ट – नौ)
9	दिनांक 13.02.2021 को बजट पर सामान्य चर्चा	वित्त	बजट पर सामान्य चर्चा (परिशिष्ट – दस)
10	अ.ता.प्र. सं. 4319 दिनांक 22.03.2021	वित्त	पंजाब को लंबित निधि जारी करना (परिशिष्ट – ग्यारह)
11	ता.प्र. सं. 449 दिनांक 04.04.2022 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	शिक्षा	आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ (परिशिष्ट – बारह)

4. उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों और उपर्युक्त 14 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों का ब्यौरा परिशिष्ट- दो से बारह में दिया गया है।

5. समिति की 23 अगस्त, 2022 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट– तेरह में दिया गया है ।

नई दिल्ली;
20 दिसम्बर, 2022
29 अग्रहायण, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

आश्वासन को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 23 अगस्त, 2022 को विचार किया गया, का सारांश दिखाने वाला विवरण

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	127	(i) अ.ता.प्र. सं. 727 दिनांक 03.12.2015 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3028 दिनांक 17.12.2015	वस्त्र		(i) जूट बोरों की आपूर्ति (ii) जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला
2	128	अ.ता.प्र. सं. 2799 दिनांक 05.12.2019	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	राष्ट्रीय खेल नीति/संहिता-2011
3	129	ता.प्र. सं. 221 दिनांक 04.08.2021 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	रेल		रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं
4	130	अ.ता.प्र. सं. 439 दिनांक 03.02.2021	रेल		द्रुत गामी रेललाइन
5	131	ता.प्र. सं. 420 दिनांक 24.03.2021	रेल		वड़सा-गढ़चिरौली रले नेटवर्क
6	132	ता.प्र. सं. 58 दिनांक 04.02.2021	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	खेल अवसंरचना
7	133	ता.प्र. सं. 110 दिनांक 09.02.2021	समाजिक न्याय और अधिकारिता	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
8	134	(i) अ.ता.प्र. सं. 1243 दिनांक 09.02.2017 (ii) ता.प्र. सं. 314 दिनांक 23.03.2017	युवा कार्यक्रम और खेल	खेल विभाग	(i) खेलकूद निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता (ii) स्वतंत्र खेलकूद विनियामक
9	135	(i) अ.ता.प्र. सं. 2987 दिनांक 14.03.2013 (ii) अ.ता.प्र. सं. 3025 दिनांक 16.03.2016	रेल		(i) रेलवे सुरक्षा बल (ii) बहु सुरक्षा एजेंसी
10	136	अ.ता.प्र. सं. 3047 दिनांक 06.08.2021	महिला और बाल विकास		लैंगिक हिंसा के पीड़ित
11	137	(i) अ.ता.प्र. सं. 106 दिनांक 29.11.2021 (ii) अ.ता.प्र. सं. 1341 दिनांक 06.12.2021	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	(i) सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (ii) डिजिटल मुद्रा
12	138	अ.ता.प्र. सं. 327 दिनांक 20.07.2021	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	पशुपालन और डेयरी विभाग	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनयम 1960
13	139	अ.ता.प्र. सं. 3311 दिनांक 16.03.2021	गृह		हिन्दी सलाहकार समिति
14	140	अ.ता.प्र. सं. 2549 दिनांक 10.03.2021	रेल		द्रुत गति रेल गलियारा
15	141	अ.ता.प्र. सं. 3593 दिनांक 29.07.2009	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट
16	142	दिनांक 13.02.2021 को बजट पर सामान्य चर्चा	वित्त	आर्थिक कार्य विभाग	बजट पर सामान्य चर्चा

क्र. सं	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
17	143	अ.ता.प्र. सं. 4147 दिनांक 29.03.2022	गृह		पत्तनों पर आव्रजन संबंधी सुविधाएँ
18	144	अ.ता.प्र. सं. 4319 दिनांक 22.03.2021	वित्त	राजस्व विभाग	पंजाब को लंबित निधि जारी करना
19	145	ता.प्र. सं. 449 दिनांक 04.04.2022 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न।)	शिक्षा	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ
20	146	अ.ता.प्र. सं. 3426 दिनांक 16.03.2021	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	एस सी और ओ बी सी समुदाय द्वारा भेदभाव का सामना करना

परिशिष्ट-दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 127

विषय: **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को छोड़ने का अनुरोध:**

(एक) 'जूट बोरों की आपूर्ति' विषय से संबंधित दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 का अता. प्र.सं. 727 (अनुबंध-एक); और

(दो) 'जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला' विषय से संबंधित दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का अता. प्र.सं. 3028 (अनुबंध-दो)।

सर्वश्री राजेश वर्मा, जे.सी. दिवाकर रेड्डी और गुथा सुकेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्यों ने वस्त्र मंत्री से उपरोक्त प्रश्न पूछे। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तर अनुबंध एक और दो में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्नों के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वस्त्र मंत्रालय को ये आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करने थे, लेकिन ये आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

3. इस संबंध में वस्त्र मंत्रालय ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2016 के का.ज्ञा. सं. फा.सं. 3/1/2016-जूट के माध्यम से इन आश्वासनों को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध किया है:-

> "केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जूट की बोरियों से संबंधित घोटाले के मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की है। सीबीआई मामले की जांच की प्रक्रिया में है, जो प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय तक जारी रहेगी। इस मामले के संबंध में एक विस्तृत नोट "अनुबंध (तीन)" के अनुसार संलग्न है। यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई सीबीआई द्वारा जांच के निष्कर्षों के अनुसार होगी।"

4. आश्वासनों को छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध को समिति ने 09 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार नहीं किया। तदनुसार, समिति ने 10 अगस्त, 2017 को अपना 64वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और मंत्रालय को जांच एजेंसियों से नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और उनसे मामले की त्वरित जांच करने के लिए आग्रह करने की सिफारिश की।

5. तथापि, वस्त्र मंत्रालय (जूट अनुभाग) ने अपने दिनांक 17/11/2021 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2016 के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"जूट आयुक्त ने बताया है कि सीबीआई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार, आरोपी अर्थात धर्म चंद सतीश कुमार द्वारा दिनांक 24.06.2019 को हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है, जो अभी भी लंबित है। यह निवेदन किया जाता है कि मामले में कार्रवाई सीबीआई द्वारा जांच के निष्कर्षों के अनुसार होगी। इसलिए, सभी कार्रवाई को पूरा करने में बहुत समय मिलेगा।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने, वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के पुन:विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16.08.2022

नई दिल्ली

अनुबंध एक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 727
जिसका उत्तर दिनांक 03.12.2015 को दिया गया

जूट बोरों की आपूर्ति

727. श्री राजेश वर्मा:
श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकार की एजेंसियां गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षक और बिचौलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के बोरों के निर्माताओं के साथ मिल कर खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए बने जूट बोरे उपलब्ध करा रहे हैं जिससे सरकार को राजस्व की करोड़ों की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि जूट बोरों को कथित रूप से ओडिशा-तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भेजा जा रहा है और बोरों पर निर्माता का नाम और लाइसेंस नम्बर भी नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं की जांच करवाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें कुल कितनी राशि सम्मिलित है और कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्यान्न जैसी कतिपय वस्तुओं को समय-समय पर निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार पटसन बोरों में पैक किया जाता है। तद्नुसार, पटसन बोरों की एजेंसियों को आपूर्ति की जाती है। पटसन आयुक्त का कार्यालय गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षकों के साथ-साथ नियमित आधार पर एजेंसियों को पटसन बोरों की गुणवत्ता और आपूर्ति को मॉनीटर करता है। ऐसी मॉनीटरिंग के सिलसिले में पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता ने हरियाणा से तेलंगाना परिवहन के दौरान अदिलाबाद, तेलंगाना में पटसन बोरों से भरे एक ट्रक को खेप पकड़ी है। यह मामला जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध दो

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3028

जिसका उत्तर दिनांक 17.12.2015 को दिया गया

जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला

3028. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ (एचएएफईडी) ने जूट की बोरियों की आपूर्ति में हुए घोटाले की जांच करने के लिए जांच टीम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पटसन आयुक्त का कार्यालय द्वारा अदिलाबाद (तेलंगाना) में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एव विपणन परिसंघ (हैफेड) को आपूर्ति के लिए पटसन बोरों की एक खेप जब्त की गई थी। चूंकि खेप मूल रूप से हरियाणा में हैफेड के लिए थी जिसे तेलंगाना बॉर्डर के पास दूसरे राज्य में जब्त किया गया था, इसलिए यह मामला जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है जिसने मामले में एक आरंभिक जांच दर्ज की हैं।

अनुबंध

हिसार जिले के एक आपूर्तिकर्ता मैसर्स धरम चंद सतीश कुमार द्वारा हरियाणा से करीम नगर जिला, तेलंगाना भेजे गए 30,000 बी॰ ट्विल पटसन बोरों को ले जा रहे एक ट्रक को उप-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आदिलाबाद ने पटसन आयुक्त के कार्यालय की सूचना पर भोजराज चेक पोस्ट, तेलंगाना पर 01 जून, 2015 को पकड़ा था।

2. पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी खेप वास्तव में हैफेड, हरियाणा सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जेपीएम अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए भेजी गई थी जिसे चुराकर करीम नगर (तेलगांना) के माल लेने वाले को बेचा जाना था। रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया:—

(i) हैफेड, आईएसआई, वेल संख्या आदि जैसे विवरणों वाले चिह्नों की मौजूदगी तथा डीक्यूए निरीक्षकों द्वारा विधिवत निरीक्षत किया जाना जो कि केवल सरकारी आपूर्ति के लिए आवश्यक था।

(ii) बोरों के बिल, का मूल्य 20 रुपए प्रति नग था जो कि पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम है।

(iii) हरियाणा में किसी कंपोजिट जूट मिल का न होना इस पूरे खेल की पोल खोल रहा है।

3. इस खेप को ट्रक के साथ जेनाथ पुलिस स्टेशन, आदिलाबाद के हवाले कर दिया गया था। तदुपरांत, इस मामल को हैफेड के साथ उठाया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा सरकार को संबोधित दिनांक 22.06.2016 के महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन परिसंघ लि॰ (हैफेड) के पत्र से निम्नलिखित विवरण सामने आया:—

- जब बोरों के निरीक्षण पर यह पाया गया कि 'आपूर्ति आदेश संख्या' के स्थान पर केवल '2015' लिखा हुआ था और 'दिनांक' के स्थान पर कुछ भी नहीं छपा था। बोरों के रैपर पर किसी भी विनिर्माता का नाम नहीं था। कोई भी लीड सील नहीं थी।
- गांठों पर पटसन आयुक्त के कार्यालय तथा हैफेड के अधिकारियों द्वारा पाई गई मार्किंग, डीजीएसएंडडी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुरूप नहीं थी। आरएमएस 2015-16 के लिए दिए गए आदेश में डीजीएफएंडएस, हरियाणा द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार किसी भी बोरे पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती है।
- हैफेड के सभी जिला प्रबंधकों ने सूचित किया है कि उनके जिलों में गनी गाठों का भंडार यथावत है तथा उनका वास्तविक शेष, रिकॉर्ड में उपलब्ध भंडार की स्थिति से मिलान करता है और इस प्रकार चालू तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान गनी गांठों की कोई चोरी अथवा कमी नहीं हुई।
- गांठों के ऊपर हेसियन कपड़े के रैपर तथा मेटल की पट्टियां, हैफेड और खाद्य विभाग सहित खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न की पैकिंग के लिए बोरों के उपयोग के बाद बेची/नीलाम की जाती है और यह एक नियमित प्रक्रिया है। इसलिए खरीद एजेंसियों द्वारा बेचे गए रैपर का निजी व्यापारियों द्वारा उनके द्वारा बेची जा रही गनी गाठों को आगे पैक करने के लिए उपयोग

परिशिष्ट- तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 129

विषय: " रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं" से संबंधित दिनांक 04.08.2021 के तारांकित प्रश्न सं. 221 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूरक) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 04 अगस्त 2021 को श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से "रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं" से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 221 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से निम्नलिखित पूरक प्रश्न पूछा :-

"यदि हरियाणा सरकार इन दोनों रेल लाइनों - भिवानी-लोहारू रेल लाइन और महेंद्रगढ़-नारनौल-अलवर रेल लाइन के लिए अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अग्रिम रूप से जमा करती है तो क्या आप इस पर विचार करेंगे?"

3. उत्तर में, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब दादाराव दानवे) ने इस प्रकार कहा:-

"अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से अलग से मिलूंगा और इसकी जानकारी लूंगा।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 के अपने का.ज्ञा. संख्या 2021/जे वी/आश्वासन/221 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

लोहारू-भिवानी रेलवे लाइन परियोजना को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच आर आई डी सी) जो हरियाणा सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा निर्मित किए जाने के लिए चुना गया है। एच आर आई डी सी(लंबाई 58.83 किमी, लागत 519.69 किमी.) के अध्ययन के अनुसार, परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई (एफ आई आर आर-1.01%)। रेल मंत्रालय द्वारा पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, परियोजना का आर ओ आर (-7%) था। वर्तमान में रेल मंत्रालय के पास चल रही परियोजना के बड़े शेल्फ के कारण परियोजना को सामाजिक-आर्थिक आधार पर नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़-नारनौल-अलवर का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के पास नहीं है। परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सहित गुण-दोष के आधार पर रिपोर्ट का प्रस्ताव और परीक्षण प्राप्त करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुबंध-VI

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.08.2021 के
तारांकित प्रश्न सं. 221 का उत्तर

रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं

*221. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा बजट के अभाव में रोकी गई रेल परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बजट के अभाव में हरियाणा के लोहारु-भिवानी रेल लाइन सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रोकी गई रेल परियोजनाओं का राज्य/परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रुकी पड़ी रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 04.08.2021 को लोक सभा में श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.221 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर लगभग 7.53 लाख करोड़ रु. की लागत वाली 51,165 कि.मी. लंबाई की 484 रेल परियोजनाएं (187 नई लाइन, 46 आमान परिवर्तन और 251 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 10,638 कि.मी. लंबाई को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है और मार्च, 2021 तक 2.14 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

इन परियोजनाओं में से, लगभग 1 लाख करोड़ रु. लागत वाली 6560 कि.मी. लंबाई की 52 परियोजनाएं (43 नई लाइन, 01 आमान परिवर्तन और 08 दोहरीकरण) विभिन्न राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू कर दी गई हैं।

लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं का कार्य निष्पादन कभी-कभी राज्य सरकारों से लागत में भागीदारी की राशि प्राप्त होने में विलंब के कारण प्रभावित होता है। रेलवे संबंधित राज्य सरकारों को लागत में भागीदारी की उनकी बकाया राशि जमा कराने और इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए भूमि सौंपने हेतु निरंतर अनुसरण करती रहती है। रेल मंत्रालय के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लागत में भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाओं में राज्यों का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए सहमति दे दी है। इस प्रयोजन के लिए, रेलवे ने राज्य सरकारों से रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय करार करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत राज्य सरकारें डायरेक्ट डेबिट करेंगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इस आदेश के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी की जाएगी, जो राज्य सरकार के खाते में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

2014-19 के दौरान भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 11,527 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 26,026 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 126% अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, इन परियोजनाओं हेतु 43,626 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक बजट आबंटित किया गया जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 278% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, इन कार्यों हेतु अभी तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय 52,498 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 45,465 करोड़ रु. और अतिरिक्त आबंटन 7,033 करोड़ रु.) मुहैया कराया गया है, जो वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 355% अधिक है।

(ग): लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं, जिनका कार्य निष्पादन राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी की राशि जमा न करने/राज्य द्वारा निशुल्क भूमि न सौंपने के कारण प्रभावित हुआ है, की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

मार्च 2019 में भिवानी-लोहारू नई रेल लाइन (58 कि.मी.) के लिए हरियाणा सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की संयुक्त उद्यम कंपनी हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत 519.69 करोड़ रुपए है और यह परियोजना अलाभप्रद है।

*****

रुकी पड़ी रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 04.08.2021 को लोक सभा में श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.221 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

क्र.सं.	योजना शीर्ष	परियोजना का नाम	लागत में भागीदारी वाले राज्य का नाम	लागत में भागीदारी की शर्त
1	नई लाइन	कोटिपल्ली-नरसापुर	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 25% लागत
2	नई लाइन	कडप्पा-बेंगलुरू (कडप्पा-मडगट्टा)	आंध्र प्रदेश	50% लागत आंध्र प्रदेश
3	नई लाइन	नाडिकुडी-श्रीकालाहस्ती	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत और निशुल्क भूमि
4	नई लाइन	भद्राचलम-कोव्वूर	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	आंध्र प्रदेश के हिस्से के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 50% लागत। भद्राचलम रोड-सत्तुपल्ली परियोजना में मैसर्स एससीसीएल के शेयर के समायोजन के बाद तेलंगाना के हिस्से के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा 50% लागत।
5	नई लाइन	कल्याणदुर्ग के रास्ते रायदुर्ग-तुमकुर (93.17 कि.मी.)	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	राज्य सरकारों द्वारा 50% लागत
6	दोहरीकरण	विजयवाड़ा-गुडिवाड़ा-भीमावरम-नरसापुर, गुडिवाडा-मछलीपटनम और भीमावरम-निडदवोलु (221 कि.मी.)-विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
7	दोहरीकरण	यलहंका-पेनुकोंडा (120 कि.मी.)	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के हिस्से के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
8	दोहरीकरण	पेनुकोंडा-धर्मावरम (42 कि.मी.)	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत
9	नई लाइन	चंडीगढ़-बद्दी	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत

10	नई लाइन	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा 25% लागत (इसमें भूमि अधिग्रहण की 70 करोड़ रु. आंकी गई लागत शामिल है। भूमि लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर इसे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।)
11	नई लाइन	मुनीराबाद-महबूबनगर	कर्नाटक	कर्नाटक में 165 कि.मी. लंबाई के लिए 50% लागत
12	नई लाइन	बेंगलुरू (हेज्जाला)-सत्यमंगलम	कर्नाटक	बेंगलुरू (हेज्जाला)-चामराजनगर (142 कि.मी. लंबाई) के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
13	नई लाइन	कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	कर्नाटक	चिकमगलूर-सकलेशपुर खंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
14	नई लाइन	बागलकोट-कुडाची (142 कि.मी.)	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
15	नई लाइन	तुमकुर-चित्रदुर्ग-दावनगेरे (191 कि.मी.)	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
16	नई लाइन	शिमोगा-हरिहर (79 कि.मी.)	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
17	नई लाइन	व्हाइटफील्ड-कोलार (53 कि.मी.)	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
18	नई लाइन	गदग-वाड़ी (257 कि.मी.)	कर्नाटक	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
19	नई लाइन	अंगमालि-सबरीमाला	केरल	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
20	नई लाइन	अहमदनगर-बीड-परली	महाराष्ट्र	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
21	नई लाइन	वर्धा-नांदेड़	महाराष्ट्र	राज्य सरकार द्वारा 40% लागत
22	नई लाइन	वडसा-गडचिरोली	महाराष्ट्र	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
23	नई लाइन	फिरोज़पुर-पट्टी	पंजाब	राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि

24	दोहरीकरण	तलवंडी साबो के रास्ते एमएम रामा मंडी (रमन)-मौर मंडी (मौर) सहित मानसा-बठिन्डा (29.11 कि.मी.)	पंजाब	राज्य सरकार द्वारा रामा मंडी-मौर मंडी (29 कि.मी.) नई लाइन के लिए निशुल्क भूमि
25	नई लाइन	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम-डूंगरपुर	राजस्थान	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
26	नई लाइन	टोंक के रास्ते अजमेर (नसीराबाद)-सवाई माधोपुर (चौथ का बरवाड़ा)	राजस्थान	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
27	नई लाइन	मनोहराबाद-कोटकपल्ली	तेलंगाना	राज्य सरकार द्वारा 33% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि और तेलंगाना सरकार द्वारा पहले 5 वर्ष के लिए निशुल्क वार्षिकी
28	नई लाइन	अकनपेट-मेदक	तेलंगाना	राज्य सरकार द्वारा 50% निर्माण लागत और निशुल्क भूमि
29	नई लाइन	देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रूड़की	उत्तराखंड	राज्य सरकार द्वारा 50% लागत
30	नई लाइन	किच्छा-खटीमा	उत्तराखंड	राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि

*****

11.06 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 221, श्री धर्मवीर सिंह ।

(Q. 221)

श्री धर्मवीर सिंह : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार में कनेक्टिविटी के नाम पर, चाहे वह रेल हो या सड़क हो, बहुत ज्यादा तेज़ी से विकास हुआ है । ... (व्यवधान) इसी लिहाज़ से हरियाणा प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में दो डिमांड्स थीं । ... (व्यवधान) एक रेलवे लाइन, जो कि भिवानी से लोहारु होते हुए राजस्थान जाती है । ... (व्यवधान) दूसरी अलवर से नारनौल और महेन्द्रगढ़ हो कर जाती है । ... (व्यवधान) दोनों डिमांड्स आज से नहीं, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, तब से चली आ रही हैं । ... (व्यवधान) इस संबंध में में कई बार सर्वे हो चुके हैं । ... (व्यवधान) सर्वे में कभी फिज़िबल तो कभी नॉट फिज़िबल हो जाती है । ... (व्यवधान) हरियाणा सरकार ने भी 49 पर्सेंट पैसा देने के लिए एक रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन सन् 2017 में बनाया है । ... (व्यवधान) अब तो माननीय गडकरी जी ने एक नया रोड भी बनाया है । ... (व्यवधान) जो दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर बना है, अलवर से ले कर पांच राज्यों के लिए नया ग्रीन कॉरिडोर लगभग एक साल के बाद तैयार हो जाएगा । ... (व्यवधान) वह कॉरिडोर अलवर से ले कर कोठपुतली-नारनौल, महेन्द्रगढ़ और पंजाब को जाता है । ... (व्यवधान) यह एक साल में तैयार हो जाएगा । ... (व्यवधान) उसके तैयार होने के बाद भी दोनों साइड में जमीन फिर भी फालतू बची रहेगी । ... (व्यवधान) मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि मेहरबानी कर के ये दोनों रेल लाइनें - भिवानी से लोहारु और अलवर से नारनौल, महेन्द्रगढ़ और दादरी होते हुए इसी कॉरिडोर के साथ बनायी जाए । ... (व्यवधान)

महोदय, प्रार्थना यही है कि हरियाणा प्रदेश को बने हुए आज 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। ... (व्यवधान) इसलिए रेल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसमें नेगेटिव जवाब देने की बजाय हमें यह आश्वासन जरूर दें कि आने वाले समय में दोनों रेलवे लाइनें बनेंगी। ... (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल और रोड का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह उनके लोक सभा मतदाता क्षेत्र में भिवानी से लोहारु रेल मार्ग से संबंधित है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भिवानी रेल लाइन, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का 51 प्रतिशत और केन्द्र सरकार के 49 प्रतिशत शेयर के साथ बनाई गई है।... (व्यवधान) इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 519 करोड़ रुपये की है।... (व्यवधान) हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें यह 'अनवाएबल' बताया गया है।... (व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : अगर हरियाणा सरकार इन दोनों रेल लाइनें - भिवानी-लोहारू रेल लाइन और महेन्द्रगढ़-नारनौल-अलवर रेल लाइन - के लिए अपना 51 प्रतिशत हिस्सा पहले ही जमा करवा देती है तो क्या आप उस पर विचार करेंगे?... (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न का भाग नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से अलग से मिल कर इसकी जानकारी लूंगा।... (व्यवधान)

SHRI ANUBHAV MOHANTY : Thank you so much, Sir. ... (*Interruptions*)

सर, मैं यहां पर केन्द्रपाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।... (व्यवधान) हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद से किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, पर हम नवीन पटनायक सर एवं केन्द्र सरकार के शुक्रगुज़ार हैं कि आज़ादी के बाद अब कम से कम वहां पर फ्रेट कारें चलने लगीं हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैंने इस साल के बजट सत्र में इसी सदन में 'डिमांड्स-फॉर-ग्रांट्स' पर हो रही चर्चा के दौरान पूछा था कि केन्द्रपाड़ा में पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी क्योंकि वहां के लोगों की यह डिमांड है और पैसेंजर ट्रेन्स पर हमारा हक भी है, जो पूरे देश के साथ हमें कनेक्ट कर सकती हैं।... (व्यवधान) लेकिन, उसके जवाब में मुझे यह मिला कि 'Kendrapara road is at a distance of 5 kilometres from Cuttack, and that is why, Kendrapara road is operationally not feasible at present'. ... (*Interruptions*)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि केन्द्रपाड़ा रोड, जो स्टेशन बताया जा रहा है, यह कटक से पाँच किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वह केन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नहीं आता है।... (व्यवधान) केन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आज तक पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चली हैं।... (व्यवधान) वह कटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती : वहां लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की सुविधा का होना बहुत जरूरी है।... (व्यवधान) वहां इसकी बहुत आवश्यकता है।... (व्यवधान) आपसे मेरी विनती है कि हमारे लोगों के हक के लिए, वहां पर रेवेन्यू जेनरेशन के लिए, वहां के युवाओं के रोजगार के लिए और केन्द्रपाड़ा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वहां एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन जल्द-से-जल्द शुरू करें।... (व्यवधान) मेरी आपसे, मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से एवं केन्द्रपाड़ा वासियों की तरफ से यह विनती है।... (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं इसकी जानकारी जरूर लूंगा और इसकी सभी जानकारी उनके साथ शेयर करूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा को बनाए रखें, यह तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बिल्कुल गलत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत कीजिए। यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित की जाती है।

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 130

विषय: "द्रुत गामी रेललाइन" से संबंधित दिनांक 03.02.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 439 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 03 फरवरी 2021 को श्री एन. रेड्डप्प, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से "द्रुत गामी रेललाइन" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 439 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 के अपने का.ज्ञा. संख्या 2021/इंफ्रा/14/01 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन एच एस आर सी एल) को निम्नलिखित सात नए हाई स्पीड रेल (एच एस आर) कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने का काम सौंपा है:

(i) दिल्ली-वाराणसी
(ii) दिल्ली-अहमदाबाद
(iii) मुंबई-नागपुर
(iv) मुंबई-पुणे-हैदराबाद
(v) चेन्नई-बैंगलोर-मैसूर

(vi) दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर

(vii) वाराणसी-पटना-हावड़ा

उपर्युक्त सात एच एस आर कॉरिडोर/परियोजनाओं के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और डी पी आर तैयार करने का कार्य एन एच एस आर सी एल को सुपुर्द किया गया है और यह प्रगति पर है। डी पी आर तैयार करना केवल एक प्रारंभिक कदम है और किसी भी एच एस आर परियोजना को शुरू करने का कोई भी निर्णय डीपीआर के परिणाम पर आधारित होगा। एच एस आर परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता वाली होती हैं और किसी भी एच एस आर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और निधियों की उपलब्धता और वित्तपोषण विकल्प आदि।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्तर में प्रस्तावित चेन्नई-बेंगलुरु-मैसुरु एच एस आर कॉरिडोर के लिए किए गए सर्वेक्षण और डी पी आर की तैयारी के कार्य की केवल तथ्यात्मक स्थिति प्रदान की गई है और इसलिए, उत्तर आश्वासन की श्रेणी में नहीं आता है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुलग्नक

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.02.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 439 का उत्तर

द्रुतगामी रेल लाइन

439. श्री एन. रेड्डप्पः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चेन्नई-बैंगलुरू-मैसूर द्रुतगामी रेल लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रगति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त द्रुतगामी रेल लाइन पर मध्य ठहराव स्टेशन के रूप में चित्तूर को अनुमोदित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग और

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): चेन्नै-बेगलुरू-मैसूरू हाई स्पीड लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को सौंपा गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ): डीपीआर की प्रक्रिया आरंभिक चरण में है और संरेखण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

******

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 132

विषय: "खेल अवसंरचना" विषय से संबंधित दिनांक 04.02.2021 के तारांकित प्रश्न सं. 58 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

*****

04 फरवरी, 2021 को श्री संजय सेठ, संसद सदस्य ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से "खेल अवसंरचना" संबंधी तारांकित प्रश्न सं. 58 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के का.ज्ञा. सं. एच-11012/5/2021-एमडी-एसडी/2111 के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

"आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, झारखंड में 12 कोर्ट हॉल वाले बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण की परियोजना के लिए खेलो इंडिया योजना के "खेल अवसंरचना का उपयोग और निर्माण / उन्नयन" वर्टिकल के तहत 4.50 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई थी। इस योजना की प्रशासनिक मंजूरी की सूचना आईआईटी (आईएसएम), धनबाद को इस मंत्रालय के दिनांक 23.10.2020 के पत्र के माध्यम से दे दी गई थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि संबंधित परियोजना को निष्पादित / कार्यान्वित करने के लिए प्राप्त की जाने वाली विभिन्न मंजूरियों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तीन महीने की अवधि के भीतर इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएं, जिसमें विफल रहने पर परियोजना को रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, एक वर्ष से अधिक

समय बीत जाने के बावजूद, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्रदान नहीं कर पाया। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परियोजना को रद्द कर दिया गया है और इसकी सूचना आईआईटी (आईएसएम), धनबाद को दे दी गई है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत ।

दिनांक:- 16/08/2022
नई दिल्ली:

अनुलग्नक

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 58

उत्तर देने की तारीख 4 फरवरी, 2021

15 माघ, 1942 (शक)

खेल अवसंरचना

***58. श्री संजय सेठः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य में मूलभूत खेल अवसंरचना की स्थापना करने हेतु कोई उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा निर्मित मूलभूत अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

खेल अवसंरचना के संबंध में श्री संजय सेठ, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 4.02.2021 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) से (ग) : "खेल" राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना के निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है । केंद्रीय सरकार खेल अवसंरचना में कमियों को पूरा करने के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है तथापि इस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत झारखंड राज्य में दो खेल अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं । विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृति की तारीख, संस्वीकृत धनराशि, जारी धनराशि, प्रयुक्त धनराशि और कार्य की प्रगति सहित इन दो परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

खेल अवसंरचना के संबंध में श्री संजय सेठ, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 4.02.2021 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत झारखंड राज्य में संस्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	परियोजना का नाम	संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत धनराशि	जारी धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	पूरे किए गए कार्य का प्रतिशत
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	साई एसटीसी, हजारीबाग में हाकी और फुटबॉल मैदान का उन्नयन	22.03.2017	207.00	207.00	207.00	कार्य पूरा
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	आईआईटी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद में 12 कोर्ट हॉल के साथ बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण	23.10.2020	450.00	अनुदानग्राही से स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।		

****

परिशिष्ट- छह

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
ज्ञापन सं. 135

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वसनों को छोड़ने का अनुरोध:

(i) 'रेलवे सुरक्षा बल' विषय से संबंधित दिनांक 14 मार्च, 2013 के अतारांकित प्रश्न सं. 2987 (अनुबंध-एक); और

(ii) 'बहु सुरक्षा एजेंसी' विषय से संबंधित दिनांक 16 मार्च, 2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 3025 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध (अनुबंध-दो)।

श्री निलेश नारायण राणे, श्री जयराम पांगी और श्री ए.टी. नाना पाटील, संसद सदस्यों ने रेल मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर अनुबंधों एक और दो में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तरों को आश्वासन माना गया था तथा विद्युत मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 11 अक्तूबर, 2021 के का.ज्ञा. सं. 2013/एसईसी(एसपीएल)/120/2 और का.ज्ञा. सं. 2020/एसईसी(एसपीएल)/120/15 के माध्यम से निम्नवत बताया:-

> "यात्री संबंधी अपराधों से निपटने के लिए आरपीएफ को सशक्त बनाने के लिए आरपीएफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव 18 राज्यों द्वारा समर्थित नहीं किए जाने के कारण मूर्त रूप नहीं ले सका। इसलिए रेल मंत्रालय राज्यों के विरोध को देखते हुए इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सका।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त दोनों आश्वासनों को छोड़ने का पुन: अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली
दिनांक: 16/08/2022

अनुबन्ध - IV

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2987
14.3.2013 को दिया जाने वाला उत्तर

रेलवे सुरक्षा बल

2987. श्री निलेश नारायण राणे:
श्री जयराम पांगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे में सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति और ऐसी पहल के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रा करने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी के लिए रेलवे द्वारा क्या उपयुक्त कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर रंजन चौधरी)

(क) और (ख) : रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) अधिनियम, 1957 के संशोधन का एक प्रस्ताव रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है. प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य रेलों पर मौजूदा प्रचलित आरपीएफ, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस की तीन स्तरीय सुरक्षा प्रणाली को आरपीएफ और जिला पुलिस की दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली में बदलने का है. गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय पहले ही उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुके हैं. मामले को उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से उनकी राय लेने के लिए भेज दिया गया है.

(ग) : रेलों द्वारा सुरक्षा को सुदृढ़ और उन्नयन करना प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है. हाल ही में, रेलवे सुरक्षा को सुदृड़ करने के लिए किए गए प्रयासों में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्थापना, सुरक्षा संबंधी आधुनिक उपकरणों की खरीद, अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्प लाइन की स्थापना, आरपीएफ पोस्टों और सुरक्षा नियंत्रण कक्षों की नेटवर्किंग और जनशक्ति का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं.

*****

अनुबंध - दो

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3025
16.03.2016 को दिया जाने वाला उत्तर

बहु सुरक्षा एजेंसी

3025. श्री ए. टी. नाना पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने में बहु सुरक्षा एजेंसियों जैसे जीआरपी, आरपीएफ, राज्य पुलिस इत्यादि के शामिल होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु बहु सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करने के क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा आरपीएफ को पर्याप्त और अत्यांतिक शक्तियां प्रदान कर भारतीय रेल नेटवर्क की सुरक्षा और अबाधित पुलिस सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) और (ख) : रेलों पर आपराधिक मामले राजकीय रेलवे पुलिस को रिपोर्ट, उनके द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। यह राज्य पुलिस का एक पृथक विंग है जिसकी जिम्मेदारी रेलों पर अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाना और रेलों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस की 50% लागत में भागीदारी के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) के माध्यम से स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

करने संबंधी राज्यों के प्रयासों में सहायता भी करती है। इसके अलावा, संबंधित जिला पुलिस पर रेल लाइनों, पुलों और सुरंगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भारतीय रेल पर रेसुब, रारेपु और जिला पुलिस की इस समय मौजूदा थ्री टियर सुरक्षा प्रणाली के परिणामस्वरूप कभी-कभार इन एजेंसियों के बीच समन्वयन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे यात्रियों को, विशेषकर मामले दर्ज कराने से संबंधित असुविधा हो सकती है।

(ग) : भारतीय रेल पर कारगर और निर्बाध यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यात्री क्षेत्र में यात्रियों से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने के लिए रेल सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की सहमति और अनुमोदन से, रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। रेल सुरक्षा बल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधिनों के बारे में राज्यों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। अभी तक 25 राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। बहरहाल, गृह मंत्रालय ने हाल ही में उक्त प्रस्ताव के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं। इस मामले पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 137

विषय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में दिए गए आश्वसनों को छोड़ने का अनुरोध:

(i) 'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा' विषय से संबंधित दिनांक 29.11.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 106 ; और

(ii) 'डिजिटल मुद्रा' विषय से संबंधित दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 1341।

ऐडवोकेट अदूर प्रकाश और श्री राकेश सिंह संसद सदस्यों ने वित्त मंत्री से उपर्युक्त प्रश्न पूछे। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर अनुबंधों एक और दो में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने अपने दिनांक 06.04.2022 के का.ज्ञा. एफ सं. 3/14/2022-सीवाई और दिनांक 18.04.2022 के का.ज्ञा. एफ सं. 3/15/2022-सीवाई के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार "सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा के परिणामस्वरूप कुशल और किफायती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली स्थापित होगी। इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए डिजिटल मुद्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे आरबीआई द्वारा 2023 के आरंभ में जारी किया जाएगा।" आरबीआई सीबीडीसी को शुरू करने पर कार्य कर रहा है। चूंकि आश्वासन सीबीडीसी को शुरू किए जाने से संबंधित है, जिसे वित्त वर्ष 22-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के माध्यम से पूरा किया गया है, इसलिए कृपया आश्वासन को छोड़ दिया जाए।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16.08.2022
नई दिल्ली

अनुबन्ध - एक

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 106
(जिसका उत्तर सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/08 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा"

106. श्री एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने का कोई विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या योजना बनाई गई है;
(ग) डिजिटल मुद्रा शुरू करने के उद्देश्य क्या है और क्या इसके निहितार्थों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सैन्ट्रल बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू की गई। सरकार ने डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने हेतु 'बैंक नोट' की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन हेतु अक्तूबर, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। आरबीआई उपयोग संबंधी मामलों की जांच कर रही है और बहुत ही कम या बिना व्यवधान के सीबीडीसी के आरंभ हेतु एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर कार्य कर रही है।

(ग) और (घ):सीबीडीसी के प्रारंभ से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की संभावना है जैसे कि रोकड़ पर घटी निर्भरता, निम्न लेनदेन लागतों के कारण उच्चतर सिक्का ढलाई मुनाफा, घटा हुआ समाधान जोखिम। सीबीडीसी का प्रारंभ संभवतः अधिक सुदृढ़, दक्ष, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी टेंडर-आधारित भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगा।इसमें इससे जुड़े जोखिम भी हैं जिन्हें कि संभावित लाभों की तुलना में सावधानीपूर्वक जांचे जाने की जरूरत है।

****

अनुबन्ध - दो

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1341
(जिसका उत्तर सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

डिजिटल मुद्रा

1341. **श्री राकेश सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में डिजिटल मुद्रा शुरू करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बैंकिंग लेनदेन में इसकी व्यावहारिकता और उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है;
(ङ) क्या उक्त मुद्रा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी के विकल्प के रूप में है;और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सैन्ट्रल बैंक द्वारा सैंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू की गई। सरकार को डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने हेतु 'बैंक नोट' की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन हेतु अक्तूबर, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक प्रस्ताव हुआ है। आरबीआई उपयोग संबंधी मामलों की जांच कर रही है और बहुत ही कम या बिना व्यवधान के सीबीडीसी की शुरुआत हेतु एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर कार्य कर रही है

(ग) और (घ): सीबीडीसी के प्रारंभ से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की संभावना है जैसे कि रोकड़ पर घटी निर्भरता, निम्न लेनदेन लागतों के कारण उच्चतर सिक्का ढलाई मुनाफा, घटा हुआ समाधान जोखिम। सीबीडीसी का प्रारंभ संभवतः अधिक सुदृढ़, दक्ष, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी टेंडर-आधारित भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगा। इसमें इससे जुड़े जोखिम भी हैं जिन्हें कि संभावित लाभों की तुलना में सावधानीपूर्वक जांचे जाने की जरूरत है।

(ङ) और (च): चूंकि सीबीडीसी को किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा समर्थित किया जाता है, अन्य लाभों के अलावा, इसमें अस्थिरता नहीं होगी जो सामान्यतः निजी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी होती है।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 140

विषय: "द्रुत गति रेल गलियारा" से संबंधित दिनांक 10.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2549 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 10 मार्च 2021 को श्री एस॰ ज्ञानतिरावियम, संसद सदस्य ने रेल मंत्री से "द्रुत गति रेल गलियारा" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 2549 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 01 जुलाई, 2021 के का.ज्ञा. संख्या 2021/इंफ्रा/14/08 के माध्यम से निम्नवत् बताया है:-

> "रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को निम्नलिखित सात नए हाई स्पीड रेल (एचएसआर) गलियारा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा है:

(i) दिल्ली-वाराणसी

(ii) दिल्ली-अहमदाबाद

(iii) मुंबई-नागपुर

(iv) मुंबई-पुणे-हैदराबाद

(v) चेन्नई-मैसूर

(vi) दिल्ली-अमृतसर

(vii) वाराणसी-हावड़ा

उपर्युक्त सात एच एस आर कॉरिडोर/परियोजनाओं के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने का कार्य एनएचएसआरसीएल को सुपुर्द किया गया है और यह प्रगति पर है। चूंकि डीपीआर तैयार करना केवल एक प्रारंभिक कदम है और किसी भी एच एस आर परियोजना को शुरू करने का कोई भी निर्णय डीपीआर के परिणाम पर आधारित होगा। एचएसआर परियोजनाओं में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और किसी भी एचएसआर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग और निधियों की उपलब्धता और वित्तपोषण विकल्प आदि।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुबन्ध

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.03.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2549 का उत्तर

द्रुत गति रेल गलियारा

2549. श्री ज्ञानतिरावियम एस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद-चेन्नै-बंगलुरु सहित द्रुत गति रेल गलियारा हेतु सात मार्गों का चयन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सभी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ऐलिवेटेड कोरिडोर होगें;
(घ) क्या उक्त पैटर्न भूमि अधिग्रहण लागत को न्यूनतम करेगा; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): रेलवे ने निम्नलिखित सात नए हाई स्पीड रेल (एचएसआर) गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को सौंपा है:

(I) दिल्ली-नोएडा-आगरा-कानपुर-लखनऊ-वाराणसी
(II) दिल्ली- जयपुर - उदयपुर - अहमदाबाद
(III) मुंबई - नासिक - नागपुर
(IV) मुंबई - पुणे - हैदराबाद
(V) चेन्नै - बैंगलोर - मैसूर

(vi) दिल्ली - चंडीगढ़ - लुधियाना - जालंधर - अमृतसर
(vii) वाराणसी-पटना-हावड़ा

उपरोक्त सात हाई स्पीड गलियारों में से किसी को भी अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। किसी भी एचएसआर परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के परिणाम, प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तपोषण के विकल्पों पर निर्भर करता है।

डीपीआर तैयार करने का कार्य अभी भी चल रहा है और गलियारों के लिए संरेखण/मार्ग को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

******

परिशिष्ट- दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. **141**

विषय: 'वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट' विषय से संबंधित दिनांक 29.07.2009 के अतारांकित प्रश्न सं. 3593 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

29 जुलाई, 2009 को श्री असादूद्दीन ओवेसी, संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री से 'वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट' विषय से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 3593 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा योजना आयोग मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उपर्युक्त आश्वासन को बाद में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को अंतरित कर दिया गया।

3. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने अपने दिनांक 08.06.2022 के का.ज्ञा. एफ सं. 7/1/2022-ईएम के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "लोक सभा के दिनांक 29.07.2009 के अतारांकित प्रश्न सं 3593 के उत्तर में दिया गया आश्वासन समान विषय पर दिनांक 10.12.2008 के अतारांकित प्रश्न सं 1682 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के समरूप है। 14 वीं लोकसभा के लंबित आश्वासन की समीक्षा के लिए 11.08.2020 को आयोजित बैठक के बाद सीओसीजीए द्वारा उत्तरार्द्ध को हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त आश्वासन को प्रारंभ में नीति आयोग को सौंपा गया था और बाद में इसे कार्यान्वयन के लिए व्यय विभाग को अंतरित कर दिया गया था। नीति आयोग ने अता प्र सं 3593 से संबंधित आश्वासन को छोड़ने का समर्थन किया है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है चूंकि दोनों आश्वासनों अर्थात 1682 और 3593 की विषय वस्तु समान है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16.08.2022
नई दिल्ली

43

अनुबन्ध

भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3593
दिनांक 29 जुलाई, 2009 को उत्तर देने के लिए

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर रिपोर्ट

3593. श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर श्री रघुराम जी0 राजन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसमें दी गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

राज्य मंत्री योजना मंत्रालय तथा राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय
(श्री वी. नारायणसामी)

(क): जी, हाँ।

(ख): समिति की सिफारिशें वृहद आर्थिक ढांचा, वित्त की व्यापक सुलभता, कार्यक्षेत्र में सुधार, अधिक कार्यसक्षम बाजारों के सृजन और विकास अनुकूल विनियामक पर्यावरण तथा क्रेडिट हेतु सुदृढ़ अवसंरचना के सृजन के क्षेत्रों के लिए हैं।

(ग): आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहा है। इसने रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विनियामकों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेज दी हैं।

******

परिशिष्ट- दस

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 142

विषय: 'बजट पर सामान्य चर्चा' विषय से संबंधित उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

13 फरवरी, 2021 को श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने आम बजट के संबंध में चर्चा के दौरान निम्नलिखित आश्वासन दिया:

"मैं आपको ब्यौरा दे सकती हूँ।"

2. वाद विवाद का पाठ अनुबंध में दिया गया है।

3. उपरोक्त उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

4. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने अपने दिनांक 29.04.2022 के का.ज्ञा. एफ सं. 7(1)-बी(एसी)/2017 के माध्यम से आश्वासन को निम्नलिखित आधार पर छोड़ने का अनुरोध:-

"I. भूमि का विवरण पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित नहीं है;

II. इस मंत्रालय में ऐसा कोई ब्यौरा नहीं है; और

III. शब्दशः ब्यौरा पूर्ण नहीं है और इसलिए मांगे गए विवरण पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। "

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 16.08.2022
नई दिल्ली

अनुबन्ध

10.05 hrs

UNION BUDGET(2021-2022) - GENERAL DISCUSSION-Contd.

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the Hon. Finance Minister in relating to my district Murshidabad which is recognised as one of the aspirational districts in the country and is waiting for your generosity.

You will be astonished to note that Murshidabad district has been victim of severe erosion years after years. Geographical expression of my district Murshidabad has been drastically sometimes beyond to the recognition. State Government is always arguing that the Central Government is not providing the requisite funds, so they cannot do the work.

So, Madam, I shall be drawing your attention on this issue because without having your support, the erosion problem cannot be solved. It should be treated as a national issue.

Secondly, I am hailing from the same district which has been recognised as the largest jute producing district in the country. You are certainly aware that the entire world now is pleading for wiping out synthetic fibre. Jute could be the fibre of the future. For its golden lustre, it is always regarded as a golden fibre.

Sir, 2008-09 was a distress because of global financial crisis. Even then, your utilisation was less which means you will talk about crisis when it comes to others, but not for yourselves. In 2020-21, the year of the pandemic, Rs. 61,500 crore were allocated because Budget was presented in February, much before the Corona crisis. Although we had given only Rs. 61,500 crore in the Budget, as the year went - Corona crisis, pandemic, lockdown and then, after the lockdown, migrant workers going back to their villages – we have increased that to Rs. 1,11,500 crore because that support had to be given in the villages. At the end of the year, it may well be that it will be utilised only to the extent of Rs. 90,000 crore, but it is still far higher than ever utilised under the MGNREGA. Therefore, for the forthcoming year, we have given Rs. 73,000 crore and are fully willing that through the Supplementary Demands for Grants, which happen at least two times if not three times, we are going to give more and more, if necessary, so that the migrant workers, who have not returned to their jobs in the cities or anywhere else and who choose to remain there, can still be continued giving support. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there were lot of questions saying we have not given adequate support to the MSMEs, which is a bit of a surprise for me. I think, even during the lockdown, the announcements which were made were made clearly saying that we are addressing the distress which the MSMEs

will face in two different ways. One, by suspending some of the clauses of the IBC, we made sure that no one from the MSMEs will be pulled to the courts or for resolution or for failure to pay their due debts and so on. Therefore, that was one way. That ensured that nobody was going to be drawn to the court or nobody was going to be declared insolvent. Similarly, we also kept extending dates of due payments or any kind of compliance that they have to do. So, we extended the deadline till 31st March of this year on many scores so that they are not burdened with having to pay taxes, having to file their returns or having even two plain compliance papers to be filed. So, we have given them relief on the compliance side of things.

Equally, we have given relief from the point of view of giving some money so that they can have additional working capital, extended term loans and so on without being asked for any new additional security. This, if I only say for a minute, approach that we took will tell you how clearly the intent was to help everybody. Banks were instructed to send SMSes, to call on the phone, to send e-mails, to go to the house or the office of the MSME, if they are available post-lockdown was lifted, but before that through an SMS, saying that we are willing to give you loan; please come and take it without additional security. The instruction given to the banks was that they will not deny it unless the person himself or the company itself says that 'I do not want it.'. So, it was given to everybody. The choice to say 'no' was with the borrower and not with the bank. So, not one

company or not one MSME - even if it is a one single-person MSME, a nano-unit - was ignored.

Also, let me underline the fact that when we kept saying MSME, MSME, we did not exclude others who did not strictly come under the category of MSME. Anyone who had an account in the bank could go and say give me loan under this Emergency Credit Guarantee Liquidity Support Scheme, and they were included.

There were questions raised and it was said: oh no but tourism sector; oh no but some other sector; we are not called MSME, but will you not give us? We kept issuing a lot of clarifications calling and saying no, we may have used the word MSME but this is available for anyone who has got a bank account. A lot of companies did not have that money because during the lockdown they could not operate but when they opened, they had to buy raw materials, they had to pay workers, they had to pay electricity bills. For all that, working capital was increased. It was given without a question.

Here, I would like to mention because hon. Members also observed about the functioning of public sector banks. I will say that having amalgamated a lot of these banks, in spite of the amalgamation related work still going on, banks very clearly exposed their staff, and I am grateful, even during the lockdown, to Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. They went and gave all the cash credit which were made during the initial months through the Bank MITRAS.

Similarly, in the Emergency Credit Guarantee, they extended it to all the companies which wanted the help. So, Emergency Credit Guarantee was one of the things which was extended to MSME. Also, we had a Subordinate Debt Scheme through which companies which were already in distress – not just viable companies getting Emergency Credit Guarantee – were given under the Subordinate Debt Scheme a kind of assistance wherein the individual promoter could borrow. He put it into the company as his equity and thereby lift the company's stature, get more assistance from the bank, and run the business.

So, when we extended these schemes, they were not some schemes being produced mindlessly. A lot of mind application happened. At the level of the Prime Minister, a lot of inputs were coming. Leaders of businesses were meeting him. Even during the lockdown through our webinars, continuously inputs were gathered, and from the PMO they were sent to us. We worked on it and every scheme was tailormade for a situation such as the pandemic.

I am proud to say every Department of the Government of India spent hours on end planning to give it to the people who are affected in the pandemic. Therefore, the approach that Government of India has taken to address the pandemic situation may be completely different but has served India better than the way in which some of us were being advised: oh, copy this country; oh, look at them; they have given 20 per cent of their GDP; give it now. We applied our mind to make sure all the advises were taken on board but designed something which

our own industries were telling us that if you do it like this, it will help us. Therefore, we gave it to them, and did not blindly copy as was advocated by many people.

Sir, Pradhan Mantri Svanidhi Yojana is for those who are constantly accusing us of dealing with cronies. Svanidhi does not go to cronies. ...* get land in States which are governed by some parties, like Rajasthan once upon a time, Haryana once upon a time. I can give you the details.

The Minister Shri Arjun Ram Meghwal has been repeatedly saying the kind of allegations which are coming for the lands taken away at throwaway prices from farmers. They gave farmers pittance and took away the lands. That is ...* operating. '*Hum do humare do*' is that. We are two people taking care of the party and there are two other people who have to be taken care of. The ...* will take care of that. We do not do that. Svanidhi is tailored. PM Svanidhi Yojana is tailored for those small traders who are there in the streets, who are selling their little wares and making their families happy with whatever they earn from there. Rs. 10,000 is given to them as working capital for one year tenure. They take Rs. 10,000, and do some business and return that. If necessary, they can take once more.

51

* Not recorded

That is given to 50 lakh street vendors. They are not cronies. They are not anybody's cronies. Leave alone our cronies, they are not even your cronies. They are the people who think of the Prime Minister who is working for the poor *dalits*, backwards, and the poor. They are the people who benefit out of the Svanidhi. They are the people who also benefit out of MUDRA. They are also the people who benefit out of PM's stand-up capital, which is being given at the district level for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also for women. There, we do not do any work for ...*. We do not do work for any cronies. We work for the common citizen who believes in the Prime Minister.

Mr. Speaker, Sir, I would like to repeat some of those specific steps that the Government has taken even during the pandemic. I will just recall once, the number of people benefited out of them. Then, you yourself will tell me where are the cronies. They are very much hiding probably in the shadow of the party which has been rejected by the people. The shadows have invited the cronies to even set up a port in Kerala. Hon. Member, Dr. Shashi Tharoor is present here, who belongs to that State, which under his party's rule invited one of those cronies, who they remember every now and then, to even develop a port. They invited the crony. There was no open tender, and there was no global tender. The crony was invited then. But now they have the temerity to call us crony capitalists! You have the temerity to call us crony capitalists! Remember, you invited one of them, who

* Not recorded

you repeatedly call a crony, but requested that crony to develop a port in your State. That happened because no ...* is living in Kerala. ...* lives here. ...(*Interruptions*) Please have the patience to hear who are our cronies. Our cronies are the common *janta* of this country.

Under PM Awas Yojana, more than 1.67 crore houses have been completed. Do cronies have these Awas Yojana houses? They are the common people of our country who get the Awas Yojana houses. How many houses were electrified under the Sowbhagya Scheme? Since October 2017, 2.67 crore houses have been electrified. They are not the houses belonging to any crony capitalist. Household toilets were constructed. Nearly 11 crore toilets were constructed. Now, it is more than that. Are they crony capitalists? Do they need it? The one who needs it gets it. ...(*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, the leader of the largest opposition party has still some courage to get up and speak on PM-CARES. I thought the MoS Finance, during the last Session, pointedly told them what is PM-CARES, who audits it, where does that money goes, etc. as opposed to the way in which the PM National Relief Fund was giving money for family trust. It has been already explained. Maybe I will send you the video clip which is going on in social media. Adhir ji, you will learn a lot of things from it. Were you not present? I think that it was the Session in which you called him *Himachal ka ...** . That was the Session when it

* Not recorded

53

happened. I would like to remind you that. That was the Session in which you called my MoS, who is the hon. Member of this House for five times now, *Himachal ka* ...* and he got up to tell you what actually was the PM National Relief Fund. So, that debate is over, done with, and dusted. You can go and remind yourself through the social media. ...(*Interruptions*) Do not worry. I will send you that clip. Have a look at it and then come back.

Under the PM Gram Sadak Yojana, more than 2,11,000 kms of roads have been built since 2014-15. The benefits of Gram Sadak Yojana do not go to the private gated communities of ...* and crony capitalists. Whose life lines are these? ...(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : सर, मैडम क्रोनी-क्रोनी बोलती जा रही हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हम नहीं बोल रहे हैं...(व्यवधान)

Sir, Professor is a very alert Member of the House. When other Members speak, he catches every word and says, "Hey, but this one", "Hey, but that one". But you noticed one thing, Sir? एक्चुअली क्रोनी कैपिटलिज्म का एलिगेशन डालने वाले कांग्रेस से कोई यह बात करता है, Professor never gets up. He shivers. Must not talk in front of Congress! All the courage is only on us. ...(*Interruptions*) All the courage is only on us. ...(*Interruptions*)

* Not recorded.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): What ...* is this? ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, nobody talks ...* ...(*Interruptions*) Don't you say that. ...(*Interruptions*) Oh! Insulting! ...(*Interruptions*)

Sir, the number of farmers registered under e-NAM ...(*Interruptions*) The number of farmers registered under e-NAM is 1,00,69,000. The number of digital transactions happening in the UPI is ...(*Interruptions*) Absolutely, continuously calling the Prime Minister all abuses. Very unfortunate. ...(*Interruptions*)

Sir, the number of farmers registered under PM Fasal Bima Yojana is nine crores. From farmers, you take away their land for cheap, but we do not do that. We send Rs. 6000 to their account. Through Direct Benefit Transfers, nine crore farmers are benefited. They are no ...* ...(*Interruptions*). Loans sanctioned under Mudra Yojana go to 27 crore people who are really running small businesses. So, MSME or small businesses have all been absolutely taken care of by this Government. So, much before really anyone comes up with questions or false allegations, of late, false narratives are the ones which are being propagated rather than coming to the House and talking in details about what is being offered in the Budget or any other programme.

Sir, there are two or three specific questions and after that, I will come to the conclusion. Member Supriya Sule Ji had asked this question and I partly sort

* Not recorded

of got up to reply her on what is that 41 and 42 per cent allocation in the Finance Commission. I think roughly that has been explained as to what is 42 percent and why it has come down to 41 per cent. It has not actually come down; it is the due appropriate share for the States. But the question she had then asked and which I chose to answer during the reply was what happens to this modernization fund for defence and internal security. That is a proposition which is not even before me. While the Finance Commission's comment on a non-lapsable fund for defence is something in principle we have agreed to, but the modalities and other things will have to be worked out talking with the Defence Minister and the entire Defence team. So, this particular thing has been mentioned in the Action Taken Report submitted to the Parliament, but the modalities will be worked out and we will see to it in the due course.

I think it was Shri N.K. Premachandran who questioned about discrepancy. I want to tell him which he saw as a discrepancy in the numbers in the Budget Speech about Aatmanirbhar package, estimated at 27.1 lakh crore vis-à-vis Rs. 29.86 lakh crore announced by the Government, there is no discrepancy. I want to let the hon. Member know about it. Within 48 hours of declaring the lockdown, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced with an estimated value of Rs. 2.7 lakh crore and that was announced for free food grains, free cooking gas, direct cash transfer to the farmers, for the women, for the elderly citizens and so on. I had mentioned this in para 4 of my Speech. But later the Government

announced three Aatmanirbhar packages with the total financial impact of about Rs. 27.1 lakh crore including the financial impact of measures taken by the RBI. The combined financial impact of Garib Kalyan Yojana and Aatmanirbhar package is Rs. 29.87 crore. Therefore, there is no discrepancy. I want to let the Member know about it.

The Member, Shri Premachandran, also asked as to how do you see that this Budget would increase demand in the country. This was the question that he legitimately asked. I would like to point out that the course we have taken for giving stimulus to the economy through spending on developmental activity; through spending on infrastructure; and improving the CAPEX of the Government has resulted in the increase in capital outlay from Rs. 4.12 lakh crore in the current year, which is nearing end, to Rs. 5.54 lakh crore in the new BE 2021-2022, which is a substantial increase and when money is spent on capital expenditure, all of us would agree, the multiplier effect will immediately create jobs and that creation of jobs will also have an impact on the core industry demands because there will be need for more cement, steel, etc. and that demand will also generate more and more jobs. So, it will have both direct and indirect impact on the economy immediately and also be sustained in the medium and long term. ...(*Interruptions*)

There was another question that the Member, Shri Premachandran, asked that how can we justify that in 2019-2020 -- there was no COVID, of course, there

was no COVID -- the Budget Estimate of fiscal deficit was 3.3 per cent of the GDP whereas in the Revised Estimate for that very year it has been shown as 4.6 per cent. I would definitely like to answer that question because I am sure that it is a matter of interest for a lot of Members. In August, 2020, the Government has placed a Statement of Deviation on the fiscal deficit as per the provisions of Section 7 (3) (b) of the FRBM Act in the Parliament. Hon. Member, I draw your attention to this Statement, which outlines the reasons for deviation of 0.8 per cent from the revised target of fiscal deficit of 3.8 per cent of GDP for the year 2019-2020. The deviation was necessitated on account of structural reforms both on the supply and on the demand side. Therefore, that was brought in.

One important aspect, Sir. Some Members have questioned whether allocations for Minority Affairs and whether allocations for SC and ST have been reduced. No, they have not been reduced. The total allocation for Minority Affairs is Rs. 4,811 crore in the BE of 2021-2022, which is an 8.6 per cent increase for that Ministry higher than even the actual expenditure. Therefore, that has not been reduced.

On the SC / STs, the overall allocation provided for the welfare of SCs have shown an increase from Rs. 83,257 crore in 2020-2021 compared to Rs. 1,26,259 crore in this BE presented as Budget now for 2021-2022. The overall allocation provided for the welfare of STs have also shown an increase from Rs. 53,653 crore in the BE of 2020-2021 to Rs. 79,942 crore in the BE of 2021-2022.

Sir, I think I have addressed most of what Members had asked. However, there is one issue on which I want to draw the attention of the Members.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, what about the rate of employment?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have given a lot of information on employment, Opposition Leader.

PROF. SOUGATA RAY: What about cash transfer?

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Can you reduce the excise on gas, diesel and petrol? ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I will come to one issue on which I certainly want to draw the attention of this House. There is a culture in this House since when the Parliament was established and all of us have been swearing by the Constitution.

We have been functioning effectively to make India a strong democracy. But it was such a disappointment for me; I was here that day to hear the former President of the Opposition party, stand up and say,`I will only speak on the farmers' issue, then, I will go quiet'. Hon. Speaker, Sir, because there was a lot of demand, and you, gently reminded saying, there is this Budget discussion now, and that we should discuss the Budget. ...(*Interruptions*) I concede that. No worries. What am I doing? I would like to ask you, what am I doing? I am talking about the Budget. I am replying to the Members who stood up and spoke on the

Budget debate; I am replying to each one on their issues. Each Member stood up and spoke about the issues which they thought were significant. ...(*Interruptions*) Please listen. Please don't unnecessarily read my mind in advance. ...(*Interruptions*)

Hon. Speaker, Sir, the attempt here is to reply to each Member for the various issues that they have raised, and I shall reply for the issues raised, and even justifying now. I agree, Oh farm issues! Definitely are relevant for the Budget. Even the hon. Member, who is not present here, I am not taking his name but I also want to address the issues raised by him that day. Farm issues will have to be spoken about because they are also part of the budgetary discussion. ...(*Interruptions*) Don't worry. I am answering. ...(*Interruptions*) Please hear. ...(*Interruptions*) You don't want me to answer the issues raised by your hon. Leader. I am answering. ...(*Interruptions*) Don't worry, I am answering that. ...(*Interruptions*) You don't mind. ...(*Interruptions*) Sir, if you have heard the hon. Member, Shri Suresh says, I should take the name. If you give me the permission, hon. Speaker, Sir, in the absence of that Member, I will take his name. ...(*Interruptions*) Alright, Sir. ...(*Interruptions*) And the Member had said, `Farm Bills are also part of the Budget. I am laying the foundation, and therefore, I am speaking about it'. Therefore, I would respond, Sir. I am sure, you will help me. Since Shri Kodikunnil Suresh has given me permission, and you, I suppose, wouldn't mind me, Shri Rahul Gandhi stood up, and spoke ... ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी किसी का नाम ले रही हैं, अगर वह सदन के सदस्य हैं तो मंत्री जी उनका नाम ले सकती हैं। इसमें क्या दिक्कत है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह सदन का सदस्य है, इसलिए नाम ले सकती हैं। यह उपस्थित या अनुपस्थित का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य का नाम ले सकती हैं। वह सभी सदस्यों का नाम ले रही हैं, जिन्होंने बजट पर चर्चा की है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: When the foundation was being laid for the speech on the Budget, which never happened, on the matters raised during that laying of the foundation, there are some things which I want to ask. I will also state my expectation when he stood up to lay the foundation. My expectations were that he will explain why the Congress Party has taken a U-turn in its position. In the 2019 election manifesto, they said very similar things that we have done in the farm Acts. ...(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, again, you are distorting. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, please allow me to give a response. This kind of disruption is unwarranted....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जाइए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Have I said anything unparliamentary for this disruption? We expected that he would stand up. This is number one, I have ten such things to say. दस विषयों के ऊपर मैं अपने एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखना चाहती हूं।, जिसके ऊपर कभी न कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना ही पड़ेगा। वह बजट स्पीच पर खड़े होकर फाउन्डेशन ले कर रहे थे, वे बजट स्पीच नहीं हुई थी। फर्स्ट इश्यू में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बजट पर चर्चा करने से पहले फार्म लॉस के ऊपर ये बातें बोलेंगे, कुछ स्पष्टीकरण देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों यू टर्न लिया, पहले इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों स्टैंड बदला?

सेकंड, फार्मर्स के ऊपर इतना ध्यान देने वाली कांग्रेस फार्म लोन वेवर्स के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा करते थे कि हमें वोट दे दो, फार्म लोन दे रहे हैं। जनता ने भरोसा रखकर वोट दिया, मगर मध्य प्रदेश में इसका इम्पिलेमेन्टेशन नहीं हुआ, फार्मर्स आज तक लोन मांग रहे हैं, हमारा लोन वेवर्स क्यों नहीं हुआ? वोट मांगा और वोट ले लिया, सरकार बनाने का बहाना किया, अभी सत्ता उनके हाथ में नहीं है। फार्म लोन के बारे में गुमराह करके किसानों को बैकस्टैब करके चले गए, राजस्थान में फार्म लोन नहीं हो रहा है, आज भी कम्पलेंट्स है।

मेरा एक्सपेक्टेशन था। ...(व्यवधान) कर्ज माफी राजस्थान में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी नहीं हुई। मेरी एक्सपेक्टेशन यही था कि जब वरिष्ठ नेता भाषण देने से पहले फाउन्डेशन ले कर रहे थे, कम से कम यह मानेंगे कि कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, उस पर बयान देंगे, लेकिन बयान नहीं दिया।

तीसरा, मैंने सोचा, वह बजट भाषण देने से पहले फाउन्डेशन ले कर रहे हैं, उस समय कम से कम यह बात बोलेंगे कि मैंने पंजाब सीएम को आदेश दे दिया, जो काला कानून है और जिसके द्वारा किसान के जेल जाने का प्रोविजन है, पांच लाख रुपये के फाइन का प्रोविजन है, दोनों प्रोविजन्स को

हटाने के लिए मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को आदेश देकर आई हूं। इस बारे में पार्लियामेंट में वह खुलासा करेंगे, इस बारे में मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

चौथा, राहुल गांधी जी उस दिन बजट के ऊपर नहीं, बल्कि फार्म लॉस के ऊपर बात कर रहे थे। उस समय मैंने यह भी एक्सपेक्ट किया, कम से कम यह बात बोलेंगे कि किसान के पराली के विषय में उनको बहुत ही दुख-दर्द है। पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ राहत दिलाएंगे, जिससे पराली का प्रॉबल्म नहीं रहेगी और उनको वह राहत दिलाएंगे, वह इसकी भी घोषणा करेंगे। ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया, मगर वह भी नहीं हुआ। मैंने यह भी एक्सपेक्ट किया कि जो तीन कानून हैं, उसमें कम से कम एक खंड निकालेंगे कि देखो इस क्लॉज की वजह से नुकसान होने वाला है, इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। इधर वोटिंग में भाग लिया और समर्थन दिया, फिर मन बदल दिया। इन तीन कानूनों में से एक भी पाइंट दिखाएंगे।

This is against the farmer. मैंने सोचा, मैंने एक्स्पेक्ट किया कि वह कम से वह बात फाउंडेशन ले करने के समय बोलेंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। पांचवां प्वाइंट हो गया।...(व्यवधान)

अब मैं सिक्स्थ प्वाइंट पर आ रही हूं। मैंने यह भी एक्स्पेक्ट किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब था, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें छोटे किसान पर बोलीं। मैंने सोचा कि उन विषयों में, छोटे किसानों से, हम दो हमारे दो के लिए किसानों से जमीन हड़पते गए। मैंने सोचा कि वे खड़े होकर यह बात बोलेंगे कि प्रधान मंत्री जी, आपने तो स्मॉल फार्मर्स पर इतना अच्छा बोल दिया, प्लीज़ फार्मर्स की जमीन वापस कर दो, हमने तो सस्ते में उनसे ले ली, यह किसानों की जमीन है, हम राजनीति में हैं, हमें खड़े होना है, राजनीति में हमारे परिवार और हमने खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। इधर हक करके बोल सकते थे, हम दो, हमारे दो में ...*

---

* Not recorded

को आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, लेकिन नहीं कहा। वह भी नहीं हुआ। मेरी सिक्स्थ एक्स्पेक्टेशन नहीं हुई।...(व्यवधान)

मेरी सातवीं एक्सपेक्टेशन है। प्रधान मंत्री जी ने डॉ. मनमोहन सिंह जी की क्योटेशन पढ़ी, उनकी तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसानों के लिए किए गए थे, यह भी बोले। मैंने उस दिन, फाउंडेशन ले करने के समय सोचा, बजट इम्पोर्टेंट नहीं है, किसान कानून इम्पोर्टेंट है, वे कम से कम बोलें। क्यों डॉ. मनमोहन सिंह जी की स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल रही है? इसकी याद प्रधान मंत्री जी ने दिलाई। मैंने सोचा कि कम से कम वे मानेंगे। हां, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने ऐसी बात की है, I have to respect. We will respect now. We will not dishonour Dr. Manmohan Singh. यह कहेंगे, ऐसी मैंने एक्स्पेक्टेशन रखी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। ...(व्यवधान) That was the seventh.

मेरी आठवीं एक्सपेक्टेशन थी। ...(व्यवधान) क्योंकि किसान कानून बजट का भाग हो सकता है, इसलिए बजट की चर्चा के समय बहुत से मैम्बर्स ने यह प्रश्न उठाया। मुझे याद है और मैंने सुना। क्या एपीएमसी देश भर में यह कानून आने के बाद बंद हुआ है? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं एक्स्पेक्टेशन के साथ प्रश्न भी पूछ रही हूं, to prove even if one APMC mandi was shut. Not one was shut. But you are standing up and speaking here. ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है। Rs.30,000 crore which will be collected through the Agricultural Development Infrastructure Cess will actually be going to the States so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से स्टेट्स को एपीएमसी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए फंड भी दे रहे हैं। यह भी नहीं बोला, लेकिन फाउंडेशन ले करते रहे और वापस चले गए बिना बजट पर चर्चा किए हुए। ...(व्यवधान)

नौवां प्वाइंट, यह मेरी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अब मेरा प्रश्न है। Why does he choose to insult Constitutional authorities? Why does he choose to insult Constitutional authorities? क्योंकि उस दिन इधर सम्माननीय स्पीकर साहब की इन्सल्ट हुई, उनका बड़प्पन है, आप लोगों ने मुझे चुनकर बिठाया है, इसलिए House should run as per the rules of this House. ऐसे करके बात छोड़ दी।...(व्यवधान) मगर इधर इन्सल्ट, इससे पहले डॉ. मनमोहन जी की इन्सल्ट इस कानून के ऊपर। ...(व्यवधान) डॉ. मनमोहन जी जब विदेश में प्रधान मंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस को फाड़कर कूड़े में फेंका। ...(व्यवधान) Why does he choose to insult? ...(व्यवधान)

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद हाउस में चर्चा होती है, खत्म होने के बाद उसी विषय पर चर्चा करना और उसी विषय को बहाने के साथ बोलते रहना, continuously insulting Constitutionally elected authorities. महामहिम राष्ट्रपति हों या माननीय प्रधान मंत्री हों, तब के प्रधान मंत्री हों या अब के प्रधान मंत्री हों, कन्टीनुअसली इन्सल्टिंग। ...(व्यवधान)

दसवां प्वाइंट, कन्टीनुअसली फेक नरेटिव्स करते रहे। ...(व्यवधान) अरे, कोविड आ गया, पूरा भारत नुकसान में चला जाएगा। ...(व्यवधान) अरे, इतने सारे लोग मर जाएंगे। मेरे पास पूरी क्योटेशन्स हैं, समय-समय पर वरिष्ठ नेता बोलते रहे।...(व्यवधान) मेरे पास पूरी क्योटेशन्स हैं। I do not want to waste the time of the House on quotations. But the Saaransh is this. I will constantly say things which will demean India, which will show India in poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives; nothing will go well for India. यही कहते रहे, कहते रहे। हमारे खिलाफ Kind of mischief- I am using a lighter word – करने वाले देश के साथ, पार्टी की ओर से, सरकार से एमओयू नहीं।...(व्यवधान) सरकार से सरकार एमओयू नहीं, पार्टी टू पार्टी एमओयू करके, जब देश

के बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस होता है, तब हमसे बात न करते हुए, हम को छोड़ो, सरकार से बात न करते हुए, उनके दूतावास से बात करते हैं कि बॉर्डर में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) ऐसा करने वाले और कभी भारत देश का भरोसा न करते हुए बाकी सबका भरोसा करने वाले और Joining the 'breaking India' fringe group. ...(व्यवधान) पार्टी के एक वरिष्ठ, सीनियर नेता का फ्रिंज ग्रुप के साथ बार-बार पोलिटिक्स करना और भयंकर एब्यूज़, total unacceptable terminology for Constitutionally elected heads का उपयोग करते रहना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कटाक्ष होने के बाद एपोलोजाइज करना और दोबारा वही साइकल में, एब्यूज़ करो, एपोलोजाइज करो, एब्यूज़ करो, एपोलोजाइज करो, इसी रास्ते पर चलना, डिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी करना। ...(व्यवधान) I am very scared to think he is probably becoming doomsday man for India. ...(व्यवधान)

हमारे लिए दु:ख की बात है कि पॉर्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर सरकार को कटघरे में रखकर प्रश्न पूछने का रोल करने वाली अपोजिशन आज डूम्सडे मैन के नेतृत्व में ...(व्यवधान) और डूम्सडे मैन जो रिपीटिडली एब्यूज़ करता है, ...(व्यवधान) मैं यह बात भी बोल रही हूं।...(व्यवधान) You cannot have this objection. You are bound to answer. ...(*Interruptions*) Sir, let them have the strength to accept this. In Parliament, debate on Budget happens traditionally. ...(*Interruptions*) Budget debate happens every year. In free India's history, discussion on We won't discuss Budget करने वाले अपोजिशन लीडर क्या रोल प्ले करना चाहते हैं? कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं? I want to aso ask of you, Budget happens every year. ...(*Interruptions*)

चौधरी जी, आप ज़रा सुनिए ...(व्यवधान) राज्य सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता बजट पर चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं।

वह जवाब चाहे पसंद हो, नापंसद हो, एक्सेप्टेबल हो या न हो, उसके बाद वे एक पोजिशन लेते हैं। वह इधर क्यों नहीं हुआ? उसी पार्टी का राज्य सभा में एक पोजिशन और इधर दूसरा पोजिशन है। यह क्या तरीका है? With these 10 questions ...(*Interruptions*) We will tell you about everything that you want. ...(*Interruptions*) कांग्रेस पार्टी के दो विषय में कहना चाहती हूं। Please sit down, Chowdhury *ji*. ...(*Interruptions*) मैं दो टेंडेंसी के बारे में बताकर अपनी बात खत्म कर रही हूं। मुझे दो टेंडेंसी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक फेक नरेटिव्स की टेंडेंसी है।

हमने मनरेगा क्रिएट किया, हमने ये किया है, लेकिन, आप ही उसको आगे बढ़ाने का मन नहीं बना पाए। आप उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं हैं। एलोकेशन है, लेकिन यूटिलाइजेशन कम है। इसी प्रकार, हर स्कीम में अपने लिए कुछ देखने की आदत भी एक टेंडेंसी है। उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है। ये कहते हैं कि हमने बैंक को नेशनलाइज्ड किया है। लेकिन, पूरे बैंक का उपयोग फोन बैंकिंग द्वारा करके एनपीए छोड़ कर चले गए। यह है उनकी टेंडेंसी। This is one tendency to create institutions, misuse them, use it for our own. 'हम दो, हमारे दो' and at the end of the day, keep accusing others. That is one tendency. The second tendency is this, हमें पार्लियामेंट में जो-जो कहना है, वह कहेंगे। हम आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन्स डालेंगे, आपके ऊपर एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, लेकिन जब आप सिस्टम के तहत खड़े होकर प्वाइंट बाई प्वाइंट जवाब देने के खड़े होते हैं, मगर सुनने को तैयार नहीं है, जैसे अभी हो रहा है। कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वाक आउट करो। बजट डिबेट में भी वही हुआ। इसलिए, हमें कांग्रेस पार्टी की इस दो टेंडेंसी को पहचानना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि उनका belief in democratic, elected Parliamentary system is completely खत्म। धन्यवाद।

परिशिष्ट- ग्यारह

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 144

विषय: "पंजाब को लंबित निधि जारी करना" विषय से संबंधित दिनांक 22.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 4319 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

22 मार्च, 2021 को श्रीमती परनीत कौर, संसद सदस्य ने वित्त मंत्री से "पंजाब को लंबित निधि जारी करना" विषय के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 4319 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 18 जुलाई, 2022 के का.ज्ञा. एफ.सं. एस-30011/12/2021-एसटी-II-डीओआर के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

> "वित्त मंत्रालय आवश्यकता और उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइस के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को बजट प्रदान करता है। मंत्रालयों/विभागों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित राज्य विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अनुदान पहले से ही प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में व्यय किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपे गए पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित विस्तृत ज्ञापन केंद्रीय मंत्रिमंडल की विधिवत मंजूरी प्राप्त करने के बाद संसद के समक्ष रखा गया था।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:- 16/08/2022
नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4319
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है)

पंजाब को लंबित निधि जारी करना

4319. श्रीमती परनीत कौर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वह अनुमानित समय अवधि क्या है जिसमें सरकार का अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 की अवधि के लिए पंजाब को 8,253 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करने का प्रस्ताव है;
(ख) क्या सरकार का जीएसटी क्षतिपूर्ति मासिक आधार पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या 15वें वित्त आयोग ने अपनी 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट में पंजाब हेतु कतिपय क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट के लिए क्रमश: 3442 करोड़ रुपये और 1545 करोड़ रुपये की अनुदान की सिफारिश की है; और
(घ) यदि हां, तो वह अनुमानित समय अवधि क्या है जिसके भीतर पंजाब को धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों के राजस्व नुकसान की गणना की जाएगी तथा पांच वर्ष के लिए प्रत्येक दो माह के अंत में जारी की जाएगी। हालाँकि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह के साथ-साथ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह तेजी से घट गया है जिसके कारण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जीएसटी क्षतिपूर्ति आवश्यकता में ऐसी वृद्धि की पूर्ति जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से नहीं की जा सकती थी क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपलब्ध राशि अपर्याप्त थी। तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित पंजाब राज्य के लिए अप्रैल-मई, 2020 की आंशिक अवधि तथा जून'20-जनवरी' 21 तक की पूर्ण अवधि के लिए 12402 करोड़ रु. की जीएसटी क्षतिपूर्ति लंबित है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को भुगतान की जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक विशेष विंडो का प्रयोग करते हुए समुचित किश्तों में 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लिए गए हैं। इस प्रकार उधार ली गई राशि को एक के पीछे एक ऋण के रूप में राज्यों को हस्तांतरित किया गया है ताकि क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त बकाया राशि के कारण क्षतिपूर्ति जारी नहीं किए जाने के कारण संसाधन अंतराल की भरपाई करने में राज्यों की मदद की जा सके। इस निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य को 8,3,59 करोड़ रु. जारी किए हैं। सभी राज्यों ने अस्थायी संसाधन अंतराल को पाटने के लिए इस सहायता का लाभ उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति निध में उपलब्ध राशि के आधार पर केन्द्र राज्यों को नियमित जीएसटी क्षतिपूर्ति भी जारी कर रही है ताकि जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई की जा सके। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, संक्रमण काल के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की उगाही को 5 साल की अवधि से आगे बढ़ाते हुए राज्यों को पूर्ण जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा ताकि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के साथ-साथ विशेष विंडो योजना के माध्यम से उधार लिए गए ऋण की भरपाई की जा सके।

(ग) से (घ): जी हां, महोदय, 15वें वित्त आयोग ने पंजाब को छह विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 3,442 करोड़ रु. की सिफारिश की है। इनके विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	घटक	सिफारिश की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	स्वास्थ्य क्षेत्र	902.00
2.	पीएमजीएसवाई	230.00
3.	सांख्यिकी	43.00
4.	न्यायाधिकरण	145.00
5.	उच्च शिक्षा	156.00
6.	कृषि क्षेत्र	1966.00
	कुल	**3442.00**

बजट 2021-22 के दौरान संसद में रखे गए स्पष्टीकरण ज्ञापन के अनुसार, सरकार मौजूदा और केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करने और इन्हें लागू करते समय आयोग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों पर उचित विचार करेगी।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि 2021-2026 के दौरान पंजाब को राज्य विशिष्ट अनुदान के रुप में 1545 करोड़ रु. की सिफारिश की है। इसके विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	सिफारिश की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	बुद्धा नाला के माध्यम से सतलुज नदी के प्रदूषण का निवारण	400.00
2.	मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर और फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के चार नए संस्थान	700.00
3.	भटिंडा के 15000 किलोवाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पायलट परियोजना	40.00
4.	भटिंडा किले का विकास	10.00
5.	धान से अन्य फसलों में विविधिकरण द्वारा चारा जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी	350.00
6.	देश विभाजन संग्रहालय, अमृतसर का विकास	10.00
7.	पटियाला किले का विकास	13.00
8.	जंग-ए-आजादी स्मारक, करतारपुर, जालंधर जिला	12.00
9.	पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, कपूरथला जिला	10.00
	कुल	**1545.00**

जैसा कि बजट 2021-22 के दौरान संसद में रखे गए स्पष्टीकरण ज्ञापन में पहले ही उल्लेख किया गया है, राज्य सरकारों के शर्तरहित संसाधनों तथा केंद्र सरकार की राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, पंजाब के संबंध में 15वें वित्त आयोग की पूर्वोक्त सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 145

विषय: "आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ" से संबंधित दिनांक 04 अप्रैल 2022 के तारांकित प्रश्न सं. 449 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूरक प्रश्न पूछा गया) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 04 अप्रैल 2022 को श्री सी. एन. अन्नदुरई, और श्री गौतम सिगामणि पोन, संसद सदस्यों ने शिक्षा मंत्री से "आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ" से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 449 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री मती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य ने शिक्षा मंत्री से निम्नलिखित पूरक प्रश्न पूछा :-

"माननीय सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ पूछा कि मैं पूछना चाहती हूं कि जिन चार लाख बच्चों को अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उन्हें डिग्री नहीं मिली है, वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सबका भविष्य बर्बाद हो गया है। पंजाब सरकार में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, क्या केंद्र सरकार ने किसी को उत्तरदायी ठहराकर पंजाब सरकार के मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? क्या ऐसा ही चलता रहेगा कि मंत्री अपने पसंदीदा संस्थानों को छात्रवृत्ति देते रहें और अन्य बच्चों की स्थिति वैसी ही बनी रहे?"

3. उत्तर में, शिक्षा मंत्री ने अन्य बातों के अलावा इस प्रकार बताया:-

"इस संबंध में जांच या कार्रवाई राज्य सरकार का विषय है। मैं माननीय सदस्य की इस आपत्ति को भारत सरकार की एक एडवाइजरी के साथ पंजाब की नई सरकार को भेजूंगा।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा शिक्षा मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय,(स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने दिनांक 20 जुलाई, 2022 के अपने का.ज्ञा. एफ संख्या 5-3/2022-एसएस के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> उपर्युक्त विषय का मामला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है और इसलिए संबंधित मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जानी है। मंत्रालय ने इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा था जिसमें बताया गया कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक: 16/08/2022

नई दिल्ली

अनुबन्ध

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: †*449
उत्तर देने की तारीख: 04.04.2022

आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां

†*449. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री गौतम सिगामणि पोन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विद्यालयों मे पढने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के प्रतिभावान छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां आरंभ की हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष/छात्रवृत्ति-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तथा सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के अनेक छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ड.) क्या सरकार ने छात्रवृत्ति की धनराशि को सीधे लाभार्थी छात्र के खाते में अंतरित करना आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज तक कितने छात्रों को लाभ मिला है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां के संबंध में माननीय संसद सदस्य, लोक सभा श्री सी.एन. अन्नादुरई और श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा दिनांक 04.04.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 449 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने देश में विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों के लिए प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

1. <u>राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस):</u>

केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' मई, 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान करना था। योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन के लिए कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रत्येक वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 1 अप्रैल 2017 से 12000/- रु. प्रति वर्ष है (पहले यह 6000/- रुपये प्रति वर्ष थी)। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।

एनएमएमएसएस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए उनके साधन और योग्यता के आधार पर खुली है। योजना के लिए माता-पिता की आय सीमा 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। संबंधित राज्य/संघ राज्य द्वारा 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रति वर्ष चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमएमएसएस के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	एससी- वर्ग		एसटी- वर्ग	
		छात्रवृत्ति की संख्या (नया+ नवीनीकरण)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	छात्रवृत्ति की संख्या (नया+ नवीनीकरण)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2018-19	59314	69.01	12186	13.82
2	2019-20	60438	70.38	27495	31.71
3	2020-21	58307	69.13	22562	26.80
4	2021-22 दिनांक 31.03.2022 को	48116	57.74	16460	19.75

2. <u>राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसएस):</u>

यह योजना, इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए विशिष्ट नहीं है बल्कि उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय चयन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। एनटीएसएस के तहत आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा XI और XII के लिए प्रति वर्ष 15000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उच्चतर शिक्षा स्तर पर भी छात्रवृत्ति जारी रखने का प्रावधान है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे चयनित छात्रों के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

एनटीएसएस के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित छात्रों की संख्या	संवितरित छात्रवृत्ति राशि (रुपए में)	लाभान्वित छात्रों की संख्या	संवितरित छात्रवृत्ति राशि (रुपए में)
	एससी		एसटी	
2021-22	496	9591000	163	3135000
2020-21	244	4332000	118	2055000
2019-20	619	11985000	204	3795000
कुल	1359	25908000	485	8985000

(ग) और (घ): राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पूरी तरह से उपलब्ध है जो छात्रवृत्तियां जारी करने को सुगम बनाने और इसकी फास्ट ट्रेकिंग और दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता से छात्रवृत्तियां प्रदान करने के आश्वासन के लिए विकसित किया गया था। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के तहत भी छात्रवृत्ति जारी करने में कोई देरी नहीं है।

(ङ) : सभी योजनाओं में छात्रवृत्ति की राशि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

*****

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्न नंबर – 449 – श्री सी.एन. अन्नादुरई – उपस्थित नहीं।

(Q. 449)

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI: Hon. Speaker, Sir, thank you. As you all know, the national average of GER, that is, the Gross Enrolment Ratio is 25 per cent; whereas because of the successful Dravidian model in Tamil Nadu, the Gross Enrolment Ratio in Tamil Nadu is 52 per cent, that is, twice the national average. Hence, the grants and scholarships should also be increased.

I would like to know from the hon. Minister whether there are any plans to increase the grants and scholarships for the State of Tamil Nadu in appreciation. Thank you, Sir.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि दो ऐसी छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाती हैं।

राष्ट्रीय साधन-सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत वर्ष 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के आठवीं कक्षा में ड्रॉप-आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना था।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए तथा सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल, 2017 से जो छात्रवृत्ति छ: हजार रुपये मिलती थी, उसे बढ़ाकर हमने 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया है। यह छात्रवृत्ति सीधे रूप से, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को देते हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Hon. Speaker, Sir, the eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are denied scholarships by the

Government agencies, except a few States like Kerala where a robust mechanism operates to identity target beneficiaries.

Keeping in mind the dire situation, -- where fraudulent activities and bureaucratic discrimination are affecting the rights of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students -- I would like to ask the hon. Minister whether a fool proof and a robust mechanism will be established by the Government to monitor and to distribute scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in the country so as to eliminate loopholes with regard to distribution.

Furthermore, I would like to ask whether the Government will consider increasing the allocation of funds for scholarships -- as more Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are being included in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe lists -- so that all the new entrants can be benefited from the scholarship scheme.

Now, I come to the pendency with regard to the distribution of scholarships. There is a long-pending demand from all the States for the distribution of scholarships by the Government of India.

I would like to ask this specific question to the hon. Minister whether it will also address the pendency of SC/ST student scholarships.

THE MINISTER OF EDUCATION AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Hon. Speaker, the basic question is related to the Ministry of Education. But I am happy that the learned hon. Member extended this

question to the entire scheme of SC/ST. My colleague Mr. Arjun Munda Ji and my senior colleague Mr. Virendra Kumar are here. Today, the Government of India has a very broad basket for students belonging to SC/ST category. It is already a big basket. Yes, it is an aspirational thing but the Government of India, under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, is committed to fulfil that aspiration. There are two other questions which hon. Member has raised.

What are those two questions? One is about the long pendency of scholarships by the Centre. With due respect to my dear friend, this fact is not correct. After assuming the responsibility, hon. Prime Minister Shri Modi took interest. He had several meetings personally.

Now, the point mentioned by my colleague Smt. Annapurna Devi Ji is this. Under the Government of India any kind of scholarship - whether it is the Tribal Ministry, whether it is Welfare Ministry or whether it is Education Ministry – is being given directly through DBT and now, the new mechanism is a matching one. Now, that scholarship will be released only when the State releases the scholarship to the account of the student. I do not want to politicise this issue. But I have information. I can provide him the information how the respective States are keeping the scholarship of the SC/ST and poor students. They are taking money from the Central Government. The States are supposed to give the matching grant. But they are alleging about the pendency of scholarship on the part of Central Government. These are all on record. I can provide the details to any specific Member. Gone are the days

when there used to be delays. He is remembering the old practices and it is not so during the Prime Minister Modi's regime.

This has become very transparent, clear and is done by DBT. The Government of India will give the scholarship when the respective States will deposit the State's share in the student account. Immediately, within few seconds, the Government of India will release the money. This is the new DBT practice which was started by our Government.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, वर्ष 2019 में पंजाब में गरीब, दलित स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उन स्टूडेंट्स की संख्या चार लाख से सिर्फ एक या डेढ़ लाख रह गई है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पैसे उनकी स्कॉलरशिप के लिए रिलीज होते थे, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नज़र आया। सोशल जस्टिस विभाग के सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपये उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशन्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को देकर घपला किया। इस बारे में मैंने मंत्रालय को लिखा था और जांच भी बैठी थी। जांच के आदेश राज्य सरकार को दिए गए थे, उन्होंने लीपा-पोती करके जिस सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे में बताया था, उसे निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दी। यह अलग बात है कि कांग्रेस सरकार को उस मंत्री को हटाना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि वे चार लाख बच्चे, जिन्हें अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, डिग्री नहीं मिली, वे आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका सारा फ्यूचर खराब हो गया है। क्या केंद्र सरकार, जो पंजाब सरकार की सरकार का जो स्कॉलरशिप घोटाला था, उसमें किसी को जिम्मेदार बनाकर क्या उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया है या ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री अपने चहेतों इंस्टीट्यूशन्स को स्कॉलरशिप दे दें और बच्चे वहीं के वहीं रह जाएं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मैं इस विषय का राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। आदरणीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, वह सही बात है। राज्यों ने केंद्र से पैसा लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से कहीं दिया और कहीं नहीं दिया।

11.59 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

इस संबंध में इन्क्वायरी या कार्रवाई राज्य सरकार का विषय है। मैं आदरणीय सदस्या की इस आपत्ति को पंजाब की नई सरकार के सामने भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी के साथ भेज दूंगा।

परिशिष्ट-तेरह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

बारहवीं बैठक

(23.08.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा सं 3, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय	-	उप सचिव

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 24 लंबित आश्वासनों को छोड़ने और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने और (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. तत्पश्चात, समिति ने 24 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 127 से 146 तक) से संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु विचारार्थ लिया। कुछेक ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो* में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 10 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

3.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
7.	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति **(2021-2022)** द्वारा 23 अगस्त, 2022 को हुई बैठक में छोड़े गए आश्वासनों को दिखाने वाला विवरण

क्र.स.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा सदभ	मत्रालय/ विभाग	सांक्षेप चर्चा
1	127	(i) अता.प्र.सं.727 दिनांक 03.12.2015 (ii) अता.प्र.सं.3028 दिनांक 17.12.2015	वस्त्र	(i)'जूट बोरों की आपूर्ति' (ii)'जूट की बोरियों की आपूर्ति में घोटाला'
2	129	ता.प्र.सं.221 दिनांक 04.08.2021 (श्री धर्मवीर सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	रेल	" रुकी पड़ी रेल परियोजनाएं"
3	130	अता.प्र.सं.439 दिनांक 03.02.2021	रेल	"द्रुत गामी रेललाइन"
4	132	ता.प्र.सं.58 दिनांक 04.02.2021	युवक कार्यक्रम और खेल (खेल विभाग)	"खेल अवसंरचना"
5	135	(i) अता.प्र.सं.2987 दिनांक 14.03.2013 (ii) अता.प्र.सं.3025 दिनांक 16.03.2016	रेल	(i) 'रेलवे सुरक्षा बल' (ii) 'बहु सुरक्षा एजेंसी'
6	137	(i) अता.प्र.सं.106 दिनांक 29.11.2021 (ii) अता.प्र.सं.1341 दिनांक 06.12.2021	वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	(i)'सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा' (ii)'डिजिटल मुद्रा'

क्र.स.	ज्ञापन सं.	प्रश्न/चर्चा सदर्भ	मन्त्रालय/ विभाग	संक्षिप्त चर्चा
7	140	अता.प्र.सं.2549 दिनांक 10.03.2021	रेल	"द्रुत गति रेल गलियारा"
8	141	अता.प्र.सं.3593 दिनांक 29.07.2009	वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	'वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों पर रिपोर्ट'
9	142	बजट पर आम चर्चा दिनांक 13.02.2021	वित्त (आर्थिक मामलों का विभाग)	'बजट पर सामान्य चर्चा'
10	144	अता.प्र.सं.4319 दिनांक 22.03.2021	वित्त (राजस्व विभाग)	"पंजाब को लंबित निधि जारी करना"
11	145	ता.प्र.सं.449 दिनांक 04.04.2022 (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	शिक्षा (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग)	"आरक्षित श्रेणियों के छात्रों हेतु छात्रवृतियाँ"

परिशिष्ट – चौदह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(20.12.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा संख्या 216, (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री एम.के. राघवन
7. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	निदेशक
3. श्री महेश चन्द गुप्ता	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पांच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय से

संबंधित प्रारूप 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप 76वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 77वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(पांच) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप 78वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, <u>देखिए</u> दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, <u>देखिए</u> दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711